

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3193 सत्रह-वि०-1-110-75
लखनऊ, 22 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975 पर दिनांक 14 अगस्त, 1975 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1975 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975
खुत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1975,
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21-1978 द्वारा संशोधित)
उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 1978

भिक्षावृत्ति रोकने और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम वित्तर,
लागू होना, प्रारम्भ और
प्रभाव

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे नगर, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया या उसके भाग या ऐसे अन्य स्थानीय क्षेत्र में ऐसे दिनांक से लागू होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट करें, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

(4) राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध प्रथमतः केवल बालकों पर लागू होंगे, और समय-समय पर, पश्चात्पूर्ति अधिसूचनाओं द्वारा इस अधिनियम को अन्य श्रेणी के व्यक्तियों पर लागू होने का निदेश दे सकती है।

(5) राज्य के किसी क्षेत्र में और किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपधारा (3) और उपधारा (4) में उपबन्धित रीति से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर उस क्षेत्र में प्रदत्त समस्त तदनुसूचित विधियां, उस वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रभावहीन हो जाएंगी और ऐसी प्रभावहीनता पर संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अधिनियमित के निरसन पर लागू होते हैं।

परिभाषाएं

2-- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(क) सजातीय पद तथा व्याकरण के रूप भेद सहित “भिक्षा मांगने” का तात्पर्य किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी बहाने से जैसे गाकर, नाच कर, भाग्य बताकर, करतब दिखा कर या किसी वस्तु को विक्रयार्थ प्रस्तुत करके, भिक्षा मांगने या लेने से है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:--

- (i) किसी निजी भू-गृहदि में भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना;
- (ii) भिक्षा प्राप्त करने या उसे बलात् लेने के उद्देश्य से किसी जख्म, घाव, चोट, विकृति या रोग को, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु का, अभिदर्शित या प्रदर्शित करना;
- (iii) जीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन न होना, और किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसी स्थिति में या ऐसी रीति से घूमना या वहां बने रहना जिससे यह प्रतीत हो कि ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति भिक्षा मांग कर या लेकर के अपनी गुजर करता है;
- (iv) भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ अपने को प्रदर्शनार्थ प्रयोग में लाने की अनुज्ञा देना, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी विधि द्वारा प्रधिकृत या विहित रीति से प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिये धन या खाद्य या उपहार मांगना या लेना नहीं है;

(ख) “प्रमाणित संस्था” का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जिसकी व्यवस्था तथा अनुरक्षण राज्य सरकार भिक्षुओं तथा उनके आश्रितों को निरूद्ध करने, प्रशिक्षण देने और सेवायोजन के लिये करे और इसके अन्तर्गत धारा 16 के अधीन इस रूप में प्रमाणित कोई संस्था भी है;

(ग) “बालक” का तात्पर्य सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से है;

(घ) “न्यायालय” का तात्पर्य प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से है या जिस क्षेत्र में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, उसमें दण्डिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी अन्य न्यायालय से है;

(ङ) “अवयस्क न्यायालय” का वही अर्थ होगा जो उसके लिये उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 में दिया गया है;

(च) “विहित” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(छ) “सार्वजनिक स्थान” का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जहां भुगतान करने पर या अन्यथा जनता को तत्समय पहुंच हो या उसे पहुंचने की अनुज्ञा हो, और इसके अन्तर्गत कोई रेलगाड़ी, गाड़ी या जलयान या रेलवे या बस स्टेशन भी है;

(ज) “समिति” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राज्य निराश्रित सहायता समिति से है।

अध्याय 2

प्रशासन तन्त्र

राज्य निराश्रित सहायता समिति

3-- (1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, राज्य निराश्रित सहायता समिति गठित कर सकती है।

(2) समिति में एक अध्यक्ष तथा उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जितनी विहित की जाय।

(3) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और जब तक कि उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, पहले ही समाप्त न कर दी जाय नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(4) समिति से त्याग-पत्र से या अन्यथा हुई कोई रिक्ति राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरी जायेगी।

(5) इस धारा में किये गये उपबन्ध के सिवाय, समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायं।

रिक्त के कारण समिति के कार्य अविधि मान्य नहीं होंगे

4-- समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझी जायगी कि समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई दोष है।

समिति की शक्ति और कृत्य

5-- समिति--

(क) भिक्षावृत्ति का प्रतिषेध और निराश्रितों की सहायता की व्यवस्था करने से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देगी;

(ख) निराश्रितों के लिये सहायता की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ योजना तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी;

(ग) निराश्रितों की सहायता के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त विषयों का पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण करेगी; और

(घ) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग और ऐसी अन्य कृत्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट किये जायं।

समिति का कर्मचारिवर्ग

6-- (1) समिति का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर नियुक्त किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे।

स्थानीय सहायता समितियाँ

(2) समिति, राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन रहते हुये अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने या अपनी शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और उनके कृत्य तथा सेवा की शर्तों के अवधारित कर सकती है।

7-- (1) "समिति", इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से जो विहित की जाय, एक स्थानीय सहायता समिति गठित कर सकती है।

(2) राज्य निराश्रित सहायता समिति के नियंत्रणाधीन रहते हुये स्थानीय सहायता समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विहित किये या सौंपे जायं।

अध्याय 3

भिक्षावृत्ति का निवारण

भिक्षा मांगने का प्रतिषेध भिक्षा मांगते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति

8-- कोई व्यक्ति, किसी ऐसे क्षेत्र में जहां यह अधिनियम लागू होता है, भिक्षा नहीं मांगेगा।

9-- (1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भिक्षा मांगते पाया जाय, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है और इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को किसी न्यायालय को ले जायेगा अथवा भेजेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी निजी भू-गृहादि में भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करने पर, जब तक कि उस भू-गृहादि के किसी अध्यासी द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारियों को कोई मौखिक या लिखित शिकायत न की जाय, गिरफ्तार नहीं किया जायगा और न इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 50, 51, 52, 56 तथा 57 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन प्रत्येक गिरफ्तारी पर लागू होंगे और थाने का प्रभारी अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को विहित रीति से तब तक रखेगा जब तक वह किसी न्यायालय के समक्ष न लाया जाय।

भिक्षा मांगते पाये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में जाँच

10--(1) यदि धारा 9 के अधीन कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष लाया जाय, तो न्यायालय इस अभिकथन के सम्बन्ध में कि वह भिक्षा मांगते हुये पाया गया, विहित रीति से, संक्षिप्त जाँच करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जाँच तुरन्त पूरी न की जा सके तो न्यायालय उसे समय-समय पर स्थगित कर सकता है और उस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर तथा ऐसी अभिरक्षा में, जो सुविधाजनक हो, प्रतिप्रेषित करने के आदेश दे सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय, जाँच के लम्बित रहने तक, किसी व्यक्ति को प्रतिभू सहित अथवा रहित इस आशय का एक बन्ध-पत्र प्रस्तुत करने पर छोड़ सकता है कि वह जाँच के दौरान भिक्षा नहीं मांगेगा और जब कभी अपेक्षित हो न्यायालय में उपस्थित होगा।

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जाँच करने पर न्यायालय का यह समाधान न हो कि वह व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए पाया गया था तो वह आदेश देगा कि उस व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जाय।

(4) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जाँच करने पर न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए पाया गया था तो वह यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति भिक्षुक है।

1(5) यदि पूर्ववर्ती अंतिम उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति की भिक्षुक माना जाय तो न्यायालय निम्नलिखित कोई आदेश दे सकता है, अर्थात्:-

(क) यदि मामले की परिस्थितियों से न्यायालय का समाधान हो जाय कि उस व्यक्ति द्वारा, जो पूर्वोक्त रूप से भिक्षुक माना गया है, पुनः भिक्षा मांगने की संभावना नहीं है तो वह उस व्यक्ति को, सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् प्रतिभू सहित या रहित इस बन्ध-पत्र पर छोड़ सकता है कि वह उस अवधि में, जिसमें बन्ध-पत्र प्रवृत्त रहे, भिक्षा मांगने से प्रविरत रहेगा और सदाचार रखेगा,

(ख) न्यायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था में ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष से कम न होगी और दो वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, निरूद्ध करने का आदेश दे सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय किसी अनुवर्ती आदेश द्वारा और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसी निरोध अवधि को कम कर सकता है।'

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई आदेश देते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात्:-

(क) भिक्षा मांगने के लिये आरोपित व्यक्ति की आयु तथा चरित्र,

(ख) परिस्थितियाँ तथा दशायें जिनमें वह व्यक्ति रह रहा था, और

(ग) ऐसे अन्य विषय जिन पर न्यायालय की राय में, ऐसे व्यक्ति के हित में विचार किया जाना आवश्यक हो।

(7) उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश की एक प्रति प्रमाणित संस्था के अधीक्षक के पास तुरन्त भेजी जायगी।

बालक भिक्षुओं के लिये विशेष उपबन्ध

11--(1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी जहां यह पाया जाय कि वह व्यक्ति, बालक जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन जांच की जानी है, बालक हैं, वहां न्यायालय, यदि उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1951 के उपबन्ध उस स्थानीय क्षेत्र में लागू हों, उस बालक को अवस्यक न्यायालय में भेज देगा जो उसके प्रति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ आयु अभिनिश्चित करने के लिये न्यायालय किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी परीक्षा करा सकता है या ऐसा अन्य साक्ष्य ले सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे।

अनुवर्ती अपराधों के लिये शास्ति

12--(1) कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में पहले निरूद्ध किया जा चुका हो, भिक्षा मांगते पाये जाने और दोष सिद्धि होने पर एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से दण्डित किया जायेगा।

(2) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन पहली बार दोष सिद्ध हो तब न्यायालय उसे ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष से कम न होगी और तीन वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, किसी प्रमाणित संस्था में निरूद्ध करने का आदेश देगा।

(3) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दूसरी बार या पश्चात्वर्ती समय पर दोष सिद्ध हो तो न्यायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था में पाँच वर्ष की अवधि के लिये निरूद्ध करने का आदेश दे सकता है और किसी ऐसी निरूद्ध अवधि को (जो दो वर्ष से अधिक की न हो) उतनी ही अवधि तक के कारावास के दण्ड में परिवर्तित कर सकता है।

भिक्षुक पर पूर्णतया आश्रित पांच वर्ष से कम आयु का बालक का रखना भिक्षुक या उसके सम्बन्धियों से भरण-पोषण खर्च की वसूली

13-- जहां न्यायालय ने किसी व्यक्ति को धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरूद्ध करने का आदेश दिया हो, वहां वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे उस व्यक्ति पर पूर्णतया आश्रित पांच वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, उसकी पूर्ण निरोध अवधि के दौरान या उसके भाग के लिये प्रमाणित संस्था में रखने के निदेश दे सकता है।

14--(1) न्यायालय, जो किसी व्यक्ति को धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरूद्ध करने का आदेश देता है, यह आदेश दे सकता है कि उसके माता-पिता या उसके भरण-पोषण के लिये जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति, यदि वह इस योग्य हो, उसके भरण-पोषण के लिये विहित रीति से अंशदान करें।

(2) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 10 या धारा 12 के अधीन निरूद्ध आदेश दिया गया है, उसके पास कोई सम्पत्ति है या वह किसी सम्पत्ति में किसी अंश का हकदार है तो वह यह निदेश दे सकता है कि भरण-पोषण का व्यय जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, यथास्थिति, उसकी उक्त सम्पत्ति या सम्पत्ति में अंश से वसूल किया जायगा।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई आदेश देने से पूर्व न्यायालय उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन कोई आदेश देने का प्रस्ताव हो, ऐसे आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देगा।

(4) इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश में जिम्मेदार पक्ष द्वारा आवेदन करने पर या अन्यथा, न्यायालय द्वारा फेरफार किया जा सकता है।

(5) कोई धनराशि जिसकी वसूली के लिये उपधारा (1) या (2) के अधीन आदेश दिया गया हो, उसी प्रकार वसूल की जायगी मानों वह दण्डिक अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो।

भिक्षा मांगने या मंगवाने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को सेवायोजित करने या उनका उपयोग करने के लिये शास्ति मजिस्ट्रेट आदि के समक्ष जाने से इंकार करने के लिये दण्ड

15--जो कोई किसी व्यक्ति के भिक्षा मांगने के लिए सेवायोजित करना है या उससे भिक्षा मंगवाता है, या कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा, प्रभार या देखभाल में कोई बालक हो, उसे ऐसा करने की मौनानुमति देता है, उत्प्रेषित करना है या उत्साहित करता है या जो कोई किसी व्यक्ति का उपयोग भिक्षा मांगने के लिये प्रदर्शन के रूप में करता है, उसे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिये कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो एक वर्ष से कम न होगा और तीन वर्ष तक विस्तृत हो सकेगा।

16--कोई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिये या किसी प्रमाणित संस्था या अन्य स्थान में ले जाये जाने के लिये, जब इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा की जाय, किसी पुलिस अधिकारी या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाने से इंकार या चूक करे, उसे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिये कारावास का जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने का या दोनों का दण्ड दिया जायेगा।

अध्याय 4

प्रमाणित संस्था

प्रमाणित संस्थाएं

17--(1) राज्य सरकार ऐसे स्थान या स्थानों पर जैसा वह उचित समझे, एक या अधिक प्रमाणित संस्थाओं का उपबन्ध और उनका अनुरक्षण कर सकती है और किसी संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रमाणित संस्था होना प्रमाणित कर सकती है।

(2) प्रत्येक ऐसी प्रमाणित संस्था अधीक्षक के प्रभार में होगी जिसे राज्य सरकार विहित निबन्धन तथा शर्त पर नियुक्त करेगी।

| | |
|---|---|
| | (3) किसी ऐसी प्रमाणित संस्था में, यथासाध्य, कृषि, औद्योगिक तथा अन्य व्यवसायों के शिक्षण की तथा सामान्य शिक्षा और अन्तःवासियों की चिकित्सकीय देख-रेख के लिये उपबन्ध किया जायेगा। |
| प्रबन्ध तथा अनुशासन | 18--कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरूद्ध किया जाय, प्रबन्ध तथा अनुशासन के ऐसे नियमों, के अधीन होगा जो समय-समय पर विहित किये जायं जिसके अन्तर्गत शारीरिक या अन्य कार्य लेने और किसी ऐसे नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड देना भी है। |
| निरूद्ध व्यक्तियों का अन्तरण | 19--ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित संस्था में निरूद्ध किसी व्यक्ति को किसी अन्य प्रमाणित संस्था में अन्तरित किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अन्तरण से ऐसे व्यक्ति की कुल निरोध अवधि में किसी भी स्थिति में कोई वृद्धि नहीं होगी: अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य राज्य में उस राज्य सरकार की सहमति के बिना अन्तरित नहीं किया जायगा। |
| प्रमाणित संस्था से भागने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी | 20--कोई व्यक्ति जो प्रमाणित संस्था के अधीक्षक की अनुज्ञा के बिना या किसी अन्य विधिपूर्ण कारण के बिना, संस्था से चला जाय या इस अधिनियम के अधीन अनुपस्थिति की अनुज्ञात अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् वापस न आये, वारंट के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या प्रमाणित संस्था के किसी अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार तदर्थ प्राधिकृत करे, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे प्रमाणित संस्था में वापस भेज दिया जायेगा। |

अध्याय 5 राज्य सरकार की शक्ति

कतिपय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निरूद्ध करना

21--(1) जहां राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरूद्ध कोई व्यक्ति कुष्ठ रोगी है, या विकृत चित्त का है, वहां, यथास्थिति, राज्य सरकार या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को कुष्ठ आश्रम या मानस चिकित्सालय या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान में ले जाने का आदेश दे सकता है।

(2) लीपर्स एक्ट, 1898 और इंडियन लूनेसी एक्ट, 1912 के उपबन्ध के अधीन रहते हुये यथा पूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति, यथा-स्थिति, किसी कुष्ठ आश्रम या मानस चिकित्सालय या अन्य स्थान पर, किसी प्रमाणित संस्था में व्यतीत की गई निरोध अवधि को सम्मिलित करके ऐसी अवधि के लिये निरूद्ध नहीं किया जायेगा जो धारा 10 या धारा 12 के अधीन उसे किसी प्रमाणित संस्था में निरूद्ध करने के लिये आदेशित कुल अवधि से अधिक हो।

(3) जहां राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति विकृत चित्त का नहीं रह गया है या उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है, वहां राज्य सरकार या ऐसा अन्य व्यक्ति उसे प्रमाणित संस्था में यदि उसे आगे भी निरूद्ध करना हो, भेजने का आदेश देगा अन्यथा उसे उन्मुक्त करने का निदेश देगा।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां किसी भिक्षुक को विकृत चित्त या कुष्ठ रोग के कारण तुरन्त हटाना आवश्यक हो, वहां प्रमाणित संस्था के अधीक्षक को उस समय तक विहित रीति से कार्यवाही करने की छूट होगी जब तक कि राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से उपर्युक्त के अनुसार आदेश प्राप्त न किया जा सके।

निरोध अवधि की समाप्ति के पूर्व अस्थायी रूप से या सशर्त छोड़ा जाना

22--(1) ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी समय प्रमाणित संस्था में निरूद्ध किसी व्यक्ति को अल्पावधि के लिये अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को सशर्त छोड़ सकता है और उसे इसके लिये लाइसेंस दे सकता है।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, उपधारा (1) के अधीन दिया या लाइसेन्स किसी भी समय विखण्डित किया जा सकता है और तदुपरान्त ऐसे लाइसेन्स पर छोड़ा गया व्यक्ति अपने को अधर्पित करेगा और व्यतिक्रम करने पर गिरफ्तार किया जायगा और उसे किसी प्रमाणित संस्था में उस अवधि की समाप्ति तक निरूद्ध किये जाने के लिये भेजा जायगा जिसके लिये उसे धारा 10 या धारा 12 के अधीन निरूद्ध किये जाने का आदेश दिया गया हो।

(3) जिस अवधि में कोई व्यक्ति किसी प्रमाणित संस्था से उपर्युक्त अनुज्ञा द्वारा या लाइसेन्स पर अनुपस्थित हो, उस अवधि को, प्रमाणित संस्था में उसकी निरोध-अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ उसकी निरूद्धि का भाग समझा जायगा।

(4) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रमाणित संस्था में निरूद्ध व्यक्ति भिक्षा मांगने से विरत रहेगा तो वह किसी भी समय यह निदेश दे सकती है कि उसे बिना शर्त छोड़ दिया जाय और तदुपरान्त उस अवधि को जिसके लिये ऐसे व्यक्ति को प्रमाणित संस्था में निरूद्ध करने का आदेश दिया गया था, समाप्त समझा जायगा।

अध्याय 6 प्रकीर्ण

भिक्षुक की स्वास्थ्य परीक्षा

23--(1) इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरूद्ध किये जाने के लिये आदेशित व्यक्ति की, प्रमाणित संस्था में पहुंचने के पश्चात् यथाशीघ्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जायगी।

(2) चिकित्सा अधिकारी आयु और स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति और मानसिक और शारीरिक स्थिति और विशेषतः इस बात की रिपोर्ट देगा कि वह व्यक्ति किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है या नहीं और वह कोई शारीरिक परिश्रम करने योग्य है या नहीं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट ऐसे प्रमाणित संस्था के अधीक्षक को भेजी जायगी और रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के लिये भेजी जायगी और उचित समझी जाय।

प्रमाणित संस्था में तलाशी

24--प्रमाणित संस्था का अधीक्षक यह निदेश दे सकता है कि प्रमाणित संस्था में आये हुए व्यक्ति की तलाशी ली जायेगी, उसे साफ-सुथरा बनाया जायेगा, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जायगा और यदि उसके पास धन या अन्य वस्तु पाई जाय तो उसका निस्तारण विहित रीति से किया जायगा:प्रतिबन्ध यह है कि किसी महिला की तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए महिला द्वारा ली जायगी।

अंगुली की छाप लेने की शक्ति

25--(1) इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित संस्था में निरूद्ध किये जाने के लिये आदेशित प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी समय, तदर्थ नियमों द्वारा सशक्त किसी अधिकारी को अपनी अंगुली की छाप लेने देगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अपनी अंगुली की छाप देने से इन्कार करे, दोष-सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकती है।

पशुओं का अभिग्रहण और निस्तारण

26--(1) धारा 9 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई पुलिस अधिकारी किसी पशु को अभिग्रहीत कर सकता है जिसके जख्म, घाव, चोट, विकृति या रोग को ऐसे व्यक्ति द्वारा भिक्षा प्राप्त करने या बलात् लेने के उद्देश्य से अभिदर्शित या प्रदर्शित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहीत पशु को निकटतम पशु चिकित्सालय भेजा जा सकता है और उसका निस्तारण न्यायालय के आदेशानुसार किया जायगा।

अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे अपील और पुनरीक्षण

27--इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

28--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अपील और पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन दिये गये आदेश को कारावास का दण्ड समझा जायगा।

लोक सेवक समझे जाने वाले व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन लिये गये बन्ध- पत्र नियम

29--इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये सशक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

30--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस अधिनियम के अधीन लिए गये बन्ध-पत्र पर लागू होंगे।

31--(1) राज्य सरकार, शासकीय गजट में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:--

(क) समिति की शक्ति, कृत्य और कर्तव्य ;

(ख) स्थानीय सहायता समितियों का गठन, उनकी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य ;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार धारा 9 के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को किसी न्यायालय के समक्ष लाये जा सकने तक रखा जायगा ;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संक्षिप्त जाँच करने की रीति ;

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार किसी प्रमाणित संस्था में निरूद्ध व्यक्ति के भरण-पोषण के लिये धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अंशदान किया जायगा ;

(च) किसी प्रमाणित संस्था में निरूद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध तथा अनुशासन जिसके अन्तर्गत उससे शारीरिक और अन्य कार्य लेना और नियमों के उल्लंघन के लिये दण्ड देना भी है ;

(छ) वे शर्तें जिनके अधीन कोई निरूद्ध व्यक्ति, एक प्रमाणित संस्था से राज्य में या राज्य के बाहर दूसरी प्रमाणित संस्था में अन्तरित किया जा सकता है ;

(ज) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन चित्त की विकृति या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति को प्रमाणित संस्था से हटाये जाने की रीति और शर्तें ;

- (झ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रमाणित संस्था से अस्थायी अनुपस्थिति के लिये अनुज्ञा की शर्तें और अस्थायी रूप से छोड़े जाने के लिये लाइसेन्स की शर्तें ;
- (ञ) वह रीति जिसके अनुसार धारा 23 के अधीन किसी भिक्षुक की चिकित्सकीय परीक्षा की जायगी ;
- (ट) किसी प्रमाणित संस्था में निरूद्ध व्यक्ति के कब्जे में प्राप्त वस्तुओं की धारा 24 के अधीन निस्तारण की रीति ;
- (ठ) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन व्यवस्थित किसी विषय के संबंध में फीस ;
- (ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित करना अपेक्षित हो या विहित किया जा सके ।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो एक सत्र या दो सत्र या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तदधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

